कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

भू–तल, सी–ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड नम्बर–2, तुलसी नगर, भोपाल (462003)

ईमेलः pccfwl@mp.gov.in , दूरभाष नं: 0755-2674206

क्रमांक / एमपीटीएफएस / 4262 भोपाल, दिनांक 24/5/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी)
वन भवन, भोपाल म.प्र.।

विषयः– **वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 यथासंशोधित की धारा 49 एम का परिवेश 2.0 पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वयन एवं जीवित प्राणी प्रजातियां (रिर्पोटिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम 2024 से संबंधित द्वितीय प्रेस विज्ञप्ति वन विभाग की वेबसाइट के अपलोड करने बाबत्।**

विषयांतर्गत लेख है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 के अंतर्गत साइटिस प्रजातियों (CITES Species) को अनुसूची–IV में जोडकर उनके रजिस्ट्रेशन, जन्म–मृत्यु की जानकारी संधारण, स्वामित्व हस्तांतरण, व्यापार व अन्य संबंधित कार्यवाही हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 28.02.2024 को जीवित प्राणी प्रजातियां (रिर्पोटिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम 2024 के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है जो जारी दिनांक से प्रवृत्त है। इसमें मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. को उपरोक्त कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है। इन जीवित प्राणी प्रजातियों के रजिस्ट्रेशन हेतु जारी दिनांक 28.02.2024 से 06 माह की समय–सीमा निर्धारित की गई है।

उपरोक्त के संबंध में प्रचार–प्रसार हेतु द्वितीय प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। उक्त प्रेस विज्ञप्ति (संलग्न) को वन विभाग की वेबसाइट के अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

24/5

(सत्यानंद)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एमपीटीएफएस / 4263 भोपाल, दिनांक : 24/5/2024

प्रतिलिपि :–

प्रचार–प्रसार अधिकारी, कार्या. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कक्ष / कर्मचारी नाम

अ.प्र.मु.व.स. (सू.प्रौ.)
27/05/24

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

वनभवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म०प्र०)
E-mail-mptigerfoundation@mp.gov.in & citesmp@gmail.com,

साईटिस जीवित प्राणी प्रजातियों का पंजीयन अनिवार्य रूप से करावे

प्रेसविज्ञप्ती,
(2/24 दिनांक 24.05.2024)

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 के अंतर्गत साइटिस प्रजातियों (CITES Species) को अनुसूची–IV में जोडकर उनके रजिस्ट्रेशन, जन्म–मृत्यु की जानकारी संधारण, स्वामित्व हस्तांतरण, व्यापार व अन्य संबंधित कार्यवाही हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 28.02.2024 को जीवित प्राणी प्रजातियां (रिपोंटिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम 2024 के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें उक्त कार्य हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. को अधिकृत किया गया है।

अगर किसी के पास साईटिस जीवित प्राणी प्रजातियॉ है, तो उनको भारत सरकार के परिवेश 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर ही उक्त जीवित प्राणी को आधिकारिक तौर से अपने पास रख सकते हैं। यह पोर्टल आपको सुविधा देता है कि आप वैधानिक रूप से साइटिस जीवित प्राणी जैसे कि– लवबर्डस, अफ्रीकन–ग्रे पैरेट, सन–कॉन्योर, रेडफुट–टोरटाइज, ग्रीन–इग्वॉना, बॉल–पायथन, मकाउ, एम्परर–स्कॉपियन आदि (सूची की लिंक संलग्न) को अपने पास रख सके। CITES में शामिल जीवित प्राणी प्रजातियों की सूची लिंक https://checklist.cites.org/#/index-download से प्राप्त की जा सकती है।

परिवेश पोर्टल 2.0 पर प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं–

- कब्जे का रजिस्ट्रीकरण
- जन्म की रिर्पोटिंग व रजिस्ट्रीकरण
- स्थानांतरण (व्यापार) की रिर्पोटिंग व रजिस्ट्रीकरण
- प्राणी प्रजातियों की मृत्यु की रिर्पोटिंग।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:–

परिवेश 2.0 पोर्टल वेबसाइट https://parivesh.nic.in/ पर पंजीयन हेतु भारत सरकार द्वारा 06 माह (01 मार्च 2024 से 31 अगस्त 2024 तक) की सीमा निर्धारित है। अतः जीवित प्राणी के धारकों द्वारा उक्त समय–सीमा में रजिस्ट्रीकरण कराना होगा व निर्धारित समय–सीमा के उपरांत उक्त प्रजातियों को बिना रजिस्ट्रीकरण के रखना गैर कानूनी होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु–

- निकटतम वनमण्डल कार्यालय से संपर्क कर सकते है।
- स्टेट साईटिस सेल वन भवन, भोपाल सें संपर्क कर सकते है।
  (मोबाइल नम्बर 9424797059–60–61)
- स्टेट साइटिस सेल वन भवन, भोपाल के ई–मेल पर भी पत्राचार कर सकते है।
  (ई–मेल **citesmp@gmail.com**)

आम जनमानस को यह भी सूचित किया जाता हैं कि किसी भी साइटिस जीवित प्राणी जिनका परिवेश 2.0 पोर्टल में रजिस्ट्रीकरण नहीं है उन्हें न खरीदें। पेटशॉप विक्रेताओं को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वह बिना रजिस्टर्ड ऐसे जीवित प्राणी प्रजाति का विक्रय नहीं करेंगे तथा रजिस्ट्रीकरण के उपरांत परिवेश 2.0 पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण/विक्रय किया जाना सुनिश्चित करेगें। उक्त नियम के उल्लंघन में केन्द्र सरकार के द्वारा सजा का प्रावधान भी रखा गया है।

24/5

(सत्यानंद)
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल